

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002682011

दांडिक प्रकरण क.-389/11

संस्थापित दिनांक-30.08.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-गुड्डू पुत्र शिवलाल आदिवासी उम्र 35 वर्ष 02-गोविंद पुत्र शिवलाल आदिवासी उम्र 30 वर्ष 03-शिवलाल पुत्र भग्गा आदिवासी उम्र 61 वर्ष 04-अनरत पुत्र शिवलाल आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासीगण-सिरसौद। <div>.....आरोपीगण</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 01.06.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 34, इजाफा 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी हरी ने दिनांक 12.08.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को शाम को वह गांव में बैठा था वहां पर उसकी आरोपीगण से कहासुनी हो गई थी फिर वह घर चला गया था। फिर आरोपीगण उसके घर पर आए और पुरानी रंजिश पर से उसे अश्लील मां-बहन की गालियां देने लगे और फिर जब उसने गाली देने से मना किया तो गोविंद ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी, गुड्डू ने लाठी मारी। अनरत, शिवलाल ने भी लाठियों से मारपीट की। और जब वह भागा तो चारों ने उसे पकड़ लिया। मौके पर उसकी भाभी कुसुमबाई आई जिसने बीचबचाव किया। तो उसकी भी आरोपीगण ने लाठी व लात-घूसों से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 345/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 323, 294, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324/34, 323/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 12.08.11 को समय 18.00 बजे ग्राम सिरसौद लोकस्थल में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हरिसिंह को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 हरिसिंह, अ.सा. 02 कुसुमबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 हरिसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 02 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 कुसुमबाई के अनुसार घटना दिनांक को फरियादी का आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसके साथ भी झूमा झटकी हो गई थी। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को

भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)